न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ), जयपुर

पीठासीन अधिकारीः– डॉ. अशोक कुमार RAS

अपील संख्या : 08/2021

रमेश पुत्र श्री साधुराम, जाति–जाट, निवासी–नाडयावाली ग्राम सिंगोदकलां, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर।

अपीलान्ट,

वनाम

1. मंगलाराम पुत्र श्री परसाराम, जाति–बलाई, निवासी–ग्राम ढोढसर, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चौमू, जिला–जयपुर।

रेस्पोडेंट्स,

3. कैलाश पुत्र श्री साधुराम, जाति–जाट, निवासी–नाडयावाली ग्राम सिंगोदकलां, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर।

परफोर्मा पक्षकार,

(अपील विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 17.12.2019 मिसल सं0 02/2017 उनवानी मंगाला वनाम साधूराम व अन्य)

उपस्थितः–

1. श्री कैलाश नारायण शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री हरिश करोडीवाल, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट सं0 1 की ओर से।
3. पेरोकार सरकार उपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 20.10.2021**

यह अपील अपीलान्ट द्वारा ग्राम ढोढसर, तहसील–चौमू स्थित ख0नं0 2158, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180 कुल किता 06 कुल रकबा 1.12 हे0 भूमि पर रेस्पोडेन्ट सं0 1 मंगला पुत्र परसा, जाति–बलाई, निवासी–ढोढसर की खातेदारी भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा सिद्ध होने पर प्रकरण में धारा 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार, चौमू द्वारा मिसल सं0 02/2017 निर्णय दिनांक 17.12.2019 के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कराया जा कर रेस्पोडेन्ट को नियमानुसार नोटिस जारी किये गये तथा मातहत न्यायालय तहसीलदार, चौमू से तलबशुदा प्रकरण से संबंधित मूल पत्रावली प्राप्त की गई।

हमनें उभयपक्षों की बहस सुनी।

अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा दिनांक 03.08.2015 को तहसीलदार, चौमू के समक्ष एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वह अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। ग्राम सिंगोदकलां में ख0नं0 2158, 2176,

2177, 2178, 2179, 2180 कुल किता 06 कुल रकबा 1.12 हे0 भूमि का वह खातेदार है। जिस पर रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 3 तथा इनके स्व0 पिता साधुराम पुत्र मानाराम जाट द्वारा जबरन अतिक्रमण कर अपीलान्ट को कब्जा किया हुआ है, जिसे वापस दिलाया जावें। इस आशय का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर पटवारी हल्का से दिनांक 26.10.2015 एवं 18.07.2019 रिपोर्ट प्राप्त की गई। पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में अंकित किया कि ग्राम सिंगोदकलां के ख0नं0 2158, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180 कुल किता 06 कुल रकबा 1.12 हे0 भूमि प्रार्थी मंगला पुत्र परसा, जाति–बलाई के नाम दर्ज रिकार्ड है। खातेदार अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आता है। वादग्रस्त खसरा नम्बरान पर साधूराम पुत्र माना, जाति–जाट, रमेश पुत्र साधूराम, जाति–जाट, कैलाश पुत्र साधूराम, जाति–जाट ने अनाधिकृत कब्जा कर काश्त किया हुआ है। साधूराम वगै. के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 बी के तहत कार्यवाही की जाना उचित है। पटवारी हल्का द्वारा उक्त मौका रिपोर्ट बिना देखे, बिना रेस्पोडेन्ट का पक्ष जाने एकपक्षीय रिपोर्ट तहसीलदार को प्रस्तुत की गई थी। तहसीलदार द्वारा प्राकृतिक न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के सर्वथा प्रतिकूल एवं साक्ष्यों के विपरीत निर्णय पारित किया गया है, जो अपास्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट सं0 2 तहसीलदार द्वारा उनके निर्णय में रेस्पोडेन्ट सं0 1 साधूराम पुत्र माना की मृत्यु हो जाने के उपरान्त भी निर्णय में साधूराम की मृत्यु का उल्लेख नही करते हुए मृत व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय पारित किया है, जो प्रारंभ से ही शून्य प्रभावी निर्णय की श्रेणी में आता है। रेस्पोडेन्ट सं0 2 द्वारा पारित निर्णय केवल पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया है, जबकि पटवारी हल्का द्वारा ना तो मौके की जांच की गई ना ही अपनी रिपोर्ट में रिकार्ड के आधारों का उल्लेख किया है। रिपोर्ट में मौके की जांच व रिपोर्ट का आधार दोनों ही स्पष्ट रूप से अंकित नही किये गये। पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में मौके पर उपस्थित लोगों जिनका ना तो नाम ना ही पता ना ही संख्या का कोई उल्लेख किया गया है ना ही उपस्थिति पर किसी के कोई हस्ताक्षर कराये गये। इस प्रकार तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का की एकपक्षीय रिपोर्ट के आधार पर विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावें तथा तहसीलदार, चौमू द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.12.2019 निरस्त किया जावें।

विद्वान् अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं0 1 की बहस सुनी गई। रेस्पोडेन्ट सं0 1 द्वारा पत्र में प्रस्तुत लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उनके द्वारा जरिये अधिवक्ता तहसीलदार, चौमू को दिनांक 03.08.2015 को इस आशय का एक प्रार्थना पत्र पेश किया था कि वह ग्राम ढोढसर का रहने वाले व्यक्ति है। वह अनुसूचित जाति वर्ग का व्यक्ति है। ग्राम सिंगोदकलां स्थित भूमि ख0नं0 2158, 2176,

2177, 2178, 2179, 2180 कुल किता 06 कुल रकबा 1.12 हे0 पर रेस्पोडेन्ट व उनके पिता का कब्जा है। रेस्पोडेन्ट स्वर्ण जाति के सदस्य है। उनके द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि पर कब्जा किया हुआ है। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर तहसीलदार, चौमू द्वारा पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त की गई। पटवारी हल्का द्वारा दो बार रिपोर्ट प्रेषित की गई। दोनो बार ही रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट की भूमि पर कब्जा काश्त होने एवं इन खसरा नम्बरों में रेस्पोडेन्ट का पुख्ता मकान बना होने और उनके परिवार का निवास करना बताया है। तहसीलदार, चौमू द्वारा अनुसूचित जाति की खातेदारी भूमि पर स्वर्ण जाति के व्यक्ति का कब्जा सिद्ध होने के कारण वादग्रस्त निर्णय दिनांक 17.12.2019 पारित किया गया है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 बी के अन्तर्गत वाद दायर करने की निम्नानुसार शर्ते अंकित है :–

1. जो व्यक्ति प्रकरण प्रस्तुत कर रहा है वह या तो वादग्रस्त भूमि का खातेदार होना चाहिये, या ऐसा अधिकारी होना चाहिये जो इस धारा के अन्तर्गत बेदखली का आदेश देने के लिये अधिकृत हो।
2. वादग्रस्त भूमि अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति की खातेदारी में होनी चाहिए।
3. जिस व्यक्ति के विरूद्ध बतौर अतिकर्मी प्रकरण प्रस्तुत किया जा रहा है वह व्यक्ति गैर–अनुसूचित जाति/जनजाति का होना चाहिए, जिसने वादग्रस्त भूमि पर या तो अतिक्रमण कर लिया है या बिना अधिकार के ऐसे अतिक्रमण को बनाये हुए (a traspasser who has taken or retained possession without lawful authority) है।
4. प्रस्तुत प्रकरण वाद हेतु उत्पन्न होने से 12 साल की मियाद में होना चाहिए।

हस्तगत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट सं0 1 अनुसूचित जाति का व्यक्ति है जिसकी खातेदारी भूमि पर स्वर्ण जाति के व्यक्तियों का कब्जा है। अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि पर स्वर्ण व्यक्ति के काबिज होने का कोई विधिक अधिकार नही है। इसलिए तहसीलदार, चौमू द्वारा विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा दौरानं बहस यह आपत्ति की गई है कि तहसीलदार, चौमू द्वारा मृत व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है। इस संबंध में निवेदन है कि रेस्पोडेन्ट की मृत्यु होने पर आदेश–22 नियम–4 सी.पी.सी. के प्रावधान केवल दावों पर लागू होते है। प्रार्थना पत्र की सुनवाई केवल समरी विचारण होने के कारण उक्त प्रावधान लागू नही होते है। वैसे भी मृतक साधूराम सामोता के वारिसान पहले से रिकार्ड पर उपलब्ध है तथा अन्तिम

बहस सुनने के बाद वह निर्णय से पूर्व यदि किसी रेस्पोडेन्ट की मृत्यु हो जाती है तो भी न्यायालय के निर्णय सुनाने में कोई त्रुटि नही होती है। ऐसे मामलों में आदेश 22 के प्रावधान लागू नही होते है। तहसील़दार, चौमू द्वारा पारित निर्णय विधि अनुरूप है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील विधि विरूद्ध एवं पोषणीय नही होने के कारण निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि तहसीलदार, चौमू के यहां विचाराधीन प्रकरण में रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी कर सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया। रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रांरभिक विधिक आपत्तियां प्रस्तुत की गई थी। प्रार्थना पत्र के साथ ऐसा कोई साक्ष्य अथवा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया जिससे यह साबित होता हो कि वादग्रस्त भूमि अपीलान्ट की खातेदारी भूमि है या रही हो। तहसीलदार, चौमू द्वारा पारित निर्णय रिकार्ड के आधार पर तथा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर विधि अनुरूप पारित किया गया है। अतः अपील़ अपीलान्ट खारिज की जावें।

हनमें उभयपक्षों की बहस को सुना। पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। रेस्पोडेन्ट मंगला पुत्र परसाराम द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, चौमू में इस आशय का एक प्रार्थना पत्र दिनांक 03.08.2015 को पेश किया गया था कि वादग्रस्त भूमि ग्राम ढोढसर स्थित ख0नं0 2158, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180 कुल किता 06 कुल रकबा 1.12 हे0 भूमि रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि है जिस पर अपीलान्ट रमेश पुत्र साधूराम व अन्य का कब्जा काश्त है। रेस्पोडेन्ट सं0 1 मंगलाराम अनुसूचित जाति का सदस्य है। अनुसूचित जाति की खातेदारी भूमि पर स्वर्ण जाति के अपीलान्ट रमेश वगै. ने जबरन अतिक्रमण कर रखा है। उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर तहसीलदार, चौमू द्वारा प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर दिया गया तथा संबंधित पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त की गई। पटवारी हल्का द्वारा प्रकरण में 26.10.2015 एवं 18.07.2019 को समान रिपोर्ट प्रस्तुत की गई अर्थात् पटवारी हल्का द्वारा वादग्रस्त भूमि की खातेदारी रेस्पोडेन्ट सं0 1 मंगलाराम पुत्र परसाराम, जाति–बलाई की खातेदारी भूमि अंकित होना बताया तथा अपीलान्ट रमेश पुत्र साधूराम वगै0 द्वारा वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त होना बताया। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने कथन के समर्थन में साक्ष्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत किये गये जिसके अनुसार रेस्पोडेन्ट द्वारा वादग्रस्त भूमि को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय की गई है। जमाबंदी सम्वत् 2068–71 एवं साबिक रिर्काड में भी रेस्पोडेन्ट मंगला पुत्र परसा, जाति–बलाई ग्राम ढोढसर की खातेदारी होना साबित है, परन्तु अपीलान्ट अपने समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य अथवा दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहा है जिससे

यह साबित होता हो कि वादग्रस्त भूमि उसकी रिकार्डेड खातेदारी भूमि है अथवा रही हो।

अतः उक्त विवेचनानुसार रेस्पोडेन्ट सं0 1 मंगला पुत्र परसाराम, जाति–बलाई एक अनुसूचित जाति का सदस्य है, जो कि ग्राम ढोढसर, तहसील–चौमू स्थित ख0नं0 2158, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180 कुल किता 06 कुल रकबा 1.12 हे0 भूमि का रिकार्डेड खातेदार है, परन्तु पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट रमेश पुत्र साधुराम जो कि स्वर्ण जाति कि व्यक्ति है उनका वादग्रस्त भूमि पर कब्जा/ अतिक्रमण है। अपीलान्ट द्वारा अपने अपील के समर्थन ऐसा कोई साक्ष्य एवं सबूत पेश नही किया है जिससे यह साबित होता हो कि अपीलान्ट वादग्रस्त भूमि का रिकार्डेड खातेदार है। प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर एवं पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर रेस्पोडेन्ट सं0 1 के रिकार्डेड खातेदार होने पर तथा अपीलान्ट द्वारा उसके रिकार्डेड खातेदारी अधिकार के संबंध में तथा अपील के समर्थन में कोई साक्ष्य अथवा दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत नही करने के कारण तहसीलदार, चौमू द्वारा मिसल सं0 02/2017 में पारित निर्णय दिनांक 17.12.2019 को विधि अनुरूप होना पाया गया है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण निरस्त की जाती है।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 20.10.2021 को सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर जिला–जयपुर (राज.) सत्यमेव जयते

20.10.21

(डॉ. अशोक कुमार)
अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ),
जयपुर